

न्यायालय : व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड, सिरोंज जिला-विदिशा (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-सुश्री ज्योति फुस्केले)

Registration No.30/2026

C.N.R.MP4008000-632-2026

Filing Date-07-05-2026

Filing Number-102/2026

01. रूघनाथ सिंह धाकड पिता थानसिंह
उम्र 43 वर्ष
02. रतनबाई धाकड पत्नी बृजेन्द्र धाकड
निवासीगण ग्राम सुमेरपुर तहसील सिरोंज
जिला विदिशा मप्र

—वादीगण

∴ विरुद्ध ∴

01. कामिल मियां उम्र 26 वर्ष
02. आसिफ कुरैशी उम्र 38 वर्ष
पुत्रगण प्योरमियां दोनों निवासी ग्राम
भगवंतपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मप्र
03. आकिब मियां पिता प्यारेमियां उम्र 28 वर्ष
हालनिवासी मकान नंबर 544 मुरली नगर
करोंद तहसील हुजूर जिला भोपाल
04. आरिफ कुरैशी पिता प्यारेमियां उम्र 42 वर्ष
निवासी ग्राम भगवंतपुर तहसील सिरोंज
जिला विदिशा मप्र
05. अब्दुल रउफ पिता अब्दुल गफूर उम्र 80 वर्ष
निवासी 137 ओल्ड सुभाष नगर मोतीनगर
तहसील हुजूर जिला भोपाल
06. श्रीमति सुनीता रघुवंशी पत्नी सागर सिंह
उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम विश्रामपुर
तहसील सिरोंज जिला विदिशा मप्र
07. म.प्र. शासन द्वारा जिला अध्यक्ष
जिला विदिशा मप्र

—प्रतिवादीगण

वादी द्वारा	—	श्री अरविंद सोनी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6	—	श्री एके निगम अधिवक्ता।

∴ आदेश ∴

(आज दिनांक— 23/07/2026 को पारित किया गया)

01. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 प्रस्तुत दिनांक 07.05.2026 का निराकरण किया जा रहा है।

02. वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि सर्वे नंबर 4/1 रकबा एवं भूमि सर्वे क्रमांक 4/2 रकबा कुल किता 02 कुल रकबा 1.770 ग्राम विश्रामपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा में अवस्थित होकर वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि होकर जिसे वादीगण द्वारा तत्कालीन भूमि स्वामी गनपत सिंह पिता लालाराम रघुवंशी निवासी विश्रामपुर से जर्ज पंजीयत विक्रय पत्रों से क्रमशः 26.05.2005 एवं 15.05.2007 क्रय कर स्वत्व आधिपत्य प्राप्त किये थे। उक्त भूमि के पूर्वी और भूमि सर्वे क्रमांक 03 रकबा 0.126 हे० भूमि अवस्थित है जिसकी चतुर दिशाओं में पूर्व में मुख्य मार्ग, पश्चिम में भूमि सर्वे क्रमांक 4/1 व 4/2, उत्तर में भूमि सर्वे क्रमांक 2/2 एवं दक्षिण ओर भूमि सर्वे क्रमांक 05 अवस्थित है, जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वर्ष 2005 में उक्त वादित भूमि अब्दुल हफीज, खुर्शीद अहमद पुत्रगण हाजी अब्दुल मजीद निवासी सिरोंज के नाम पर राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित रही है। वादित भूमि सर्वे क्रमांक 03 के पूर्वाधिकारी अब्दुल हफीज खां आदि के पश्चात वर्ष 2006-07 के राजस्व अभिलेखों में भूमि चांद खां, हाजीमियां, आफताब मियां पुत्रगण अब्दुल हफीज खां एवं खुर्शीद अहमद पुत्र हाजी अब्दुल मजीद के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित रही है।

03. आवेदन अग्रेतर इस प्रकार है कि वर्ष 2007-08 से वादित भूमि प्यारे मियां पत्र अब्दुल गफूरखां के नाम अभिलिखित हुई तत्पश्चात् वर्ष 2014 में प्यारे मियां पुत्र अब्दुल गफूर खां एवं अब्दुल रउफ खां के स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में अंकित हुई। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 04 उक्त प्यारे मियां के उत्तराधिकारी हैं तथा प्रतिवादी

क्रमांक 05 वादित भूमि का सहस्वामी रहा है। वादित भूमि कभी भी वास्तविक रूप से भूमि सर्वे क्रमांक 04 से अलग नहीं रही है। वादी द्वारा उनके स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 04 के अंश भागों को पृथक-पृथक क्रय किये जाने के पूर्व से ही भूमि सर्वे क्रमांक 04 का अभिन्न अंग रही है जो तत्कालीन भूमि स्वामी अब्दुल हफीज खां आदि के पूर्ण जानकारी में होकर वादीगण के पूर्वाधिकारी तत्पश्चात् वादी क्रमांक 01 के शांतिपूर्ण और निर्बाध अधिपत्य में रही है क्योंकि वादीगण द्वारा भूमि क्रय किये जाने के पश्चात अब्दुल अफीज खां द्वारा दिनांक 20.05.2005 को वादित भूमि को रिक्त किये जाने पर से झगडा किया था, परंतु वादी क्रमांक 01 द्वारा वादित भूमि को कभी भी ना तो रिक्त किया, न कभी अब्दुल हफीज अथवा उनके पश्चात्वर्ती उत्तराधिकारीयों को वादित भूमि का आधिपत्य सौपा।

04. आवेदन अग्रेतर इस प्रकार है कि भूमि के उत्तरोत्तर अंतरण के पश्चात भी वादीगण द्वार वादित भूमि का आधिपत्य भूमि स्वामियों की जानकारी में निरंतर चला आ रहा है। जिससे वादीगण को वादित भूमि में विरोधी आधिपत्य होने से वर्ष 2017 में ही स्वत्व प्राप्त हो गये हैं। अभी हाल ही में दिनांक 16.04.2026 को प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा वादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 06 को अधिकारातीत जाकर बिना वास्तविक आधिपत्य सौंपे अवैध रूप से पंजीयत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दी है, परंतु वादित भूमि का उक्त विक्रय पत्र भी वादीगण के स्वत्वों के मुकाबले शून्य है। भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन कराये जाने के पश्चात दिनांक 17.04.2026 को प्रतिवादी क्रमांक 06 व उसका पत्र वादीगण के पास आये और वादीगण को भूमि उनके द्वारा क्रय किया जाना बताते हुये, आगे वादित भूमि पर कृषि कार्य न करने एवं आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक 06 व उसके पत्र को सौंपे जाने लिए धमकाया जबकि वादीगण का वादित भूमि पर आधिपत्य वादीगण द्वारा सर्वे क्रमांक 4/1 व 4/2 की भूमि क्रय किये जाने के पश्चात से निरंतर चला आ रहा है। इस कारण यह वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण का वादित भूमि पर क्रय दिनांक से ही आधिपत्य है। प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी का वादित भूमि पर कभी भी आधिपत्य अथवा दखल नहीं रहा है इस कारण पृथम दृष्ट्या ही वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अत्याधिक सबल

है। यदि प्रतिवादीगण को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से ना रोका गया तो जिससे वादीगण को जो क्षतिपूर्ति किसी प्रकार न हो सकेगी।

05. आवेदन अग्रेतर इस प्रकार है किवादीगण का वादित भूमि पर आधिपत्य होकर वे ही वादित भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। स्थल पर वास्तविक में कोई मेढ अथवा विभाजन रेखा नहीं है। जिससे वादित भूमि वादीगण के स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 4/1 व 4/2 से भिन्न होती हों। इस कारण सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। अतः प्रकरण के अंतिम निरकरण तक प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया गया कि वे ना तो स्वयं एवं अन्य प्रतिनिध या सेवक आदि द्वारा वादित भूमि के वादीगण के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप ना करें ना करावें और ना ही वादित भूमि का किसी प्रकार का अंतरण करें।

06. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 ने आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष कथनों में व्यक्त किया है कि वादी ने स्वयं तथा मिटठूलाला, परमाल सिंह के असत्य तथ्य दर्शाते हुये झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। सर्वे नम्बर 03 की भूमि से मिटठूलाल की कोई भूमि मिटठूलाल लगी हुई नहीं है। तथा परमाल सिंह की कोई भूमि सर्वे क्रमांक 03 की भूमि से दक्षिण तरफ अथवा किसी भी दिशा तरफ तथा 2—3 खाते छोडकर भी नहीं है। परमाल पुत्र लालाराम नाम का कोई व्यक्ति ग्राम विश्रामपुर में निवास नहीं करता है परमाल सिंह नाम का कपोल कल्पित झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी प्रस्तुति दिनांक को वादीगण का वादित भूमि पर किसी प्रकार का स्वत्व व आधिपत्य नहीं होने हसे वादीगण, प्रतिवादीगण के खसरा क्रमांक 03 रकबा 0.126 हेक्टर भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के पात्र व अधिकारी नहीं है। यदि वादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य होता तब राजस्व अभिलेखों में वादीगण का आधिपत्य आवश्यक अंकित होता। प्रतिवादी क्रमांक 06 ने खसरा क्रमांक 03 रकबा 0.126 हे0 भूमि क्रय करने व आधिपत्य प्राप्त करने के पश्चात हांक जोत कर मका वोई है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 06 के स्वत्व व आधिपत्य में है। वादित भूमि सिरोंज आरोन मुख्य रोड से लगी होने से अत्याधिक उपयोगी व कीमती

होने से वादीगण वादित भूमि को अवैधानिक रूप से हड़पना चाहते हैं इसलिए मिथ्या वाद व आवेदन प्रस्तुत किया है। वादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 06 स्वामी व आधिपत्यधारी है यदि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाता है तब प्रतिवादी क्रमांक 06 को अपूर्णीय क्षति होगी। वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रवल नहीं है तथा सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

07. इस आवेदन के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	विचारणीय प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी/आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है?	"ना साबित "
2.	क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी/आवेदक को अपूर्णीय क्षति कारित होगी?	"ना साबित "
3.	क्या सुविधा का संतुलन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के पक्ष में है?	"ना साबित "

∴ विवेचना एवं निष्कर्ष ∴
विचारणीय बिंदु क्रमांक -01 का निराकरण

08. वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने के लिए आवश्यक है कि वादी के द्वारा विचारण योग्य ऐसा प्रश्न उठाया गया हो जिसका निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जा सकता हो एवं जिसमें उपलब्ध सामग्री के आधार पर वादी के सफल होने की पूर्ण सम्भावना हो। वादी के द्वारा आवेदन के समर्थन में मिटटूलाल का शपथ पत्र, निरभैसिंह धाकड़ का शपथ पत्र, वादित स्थल के पंजीयत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी, खसरा पंच वर्षीय 2002-03 से 2006-07, 2007-8 से 2011-12, 1997-98 से 2001-02 ग्राम विसरामपुर, खसरा सर्वे क्रमांक 3 वर्ष 2026-27, नक्शा सर्वे क्रमांक 2026-27 ग्राम विसरामपुर, खसरा सर्वे क्रमांक 4/1 व 4/2 वर्ष 2026-27, सूचना पत्र की पोस्टल रसीद, सूचना पत्र एवं छायाचित्र की तीन प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं।

09. प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 6 द्वारा अपने समर्थन में सुनीता रघुवंशी का शपथ पत्र, प्रताप सिंह रघुवंशी का शपथ पत्र, हनीफा खां का शपथ पत्र, तुलसीराम

प्रजापति का शपथ पत्र, आरिफ कुरैशी का शपथ पत्र, वटन प्रजापति का शपथ पत्र, खसरा सर्वे क्रमांक 3 वर्ष 2024-25 से 2020-27, खसरा वर्ष 2026-27 सर्वे क्रमांक 43 व खसरा वर्ष 2026-27 सर्वे क्रमांक 5 स्थित ग्राम विश्रामपुर प्रस्तुत किया है।

10. वादी के द्वारा हस्तगत वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकबा 0.126 हे0 स्थित ग्राम विसरामपुर के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। वादी के अभिवचनों के अनुसार उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 4/1 व 4/2 वादग्रस्त भूमि के पश्चिम में स्थित है जो कि उसके स्वामित्व की भूमि का अंग रही है। वादी के द्वारा इस संबंध में दिनांक 26.05.2005 एवं दिनांक 15.05.2007 के विक्रय की प्रति प्रस्तुत नहीं की है, किंतु प्रतिवादी के द्वारा उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर भूमि सर्वे क्रमांक 4/1 व 4/2 के स्वामित्व को चुनौति नहीं दी है। वादपत्र के अभिवचनों के अवलोकन से प्रतिकूल कब्जा कबसे प्रारंभ हुआ, कब परिपक्व हुआ एवं प्रतिकूल कब्जे के अन्य आवश्यक तथ्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

11. अस्थाई निषेधाज्ञा के समय वादी के स्थापित आधिपत्य के संबंध में विचार किया जाये तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा वास्तविक स्वामी के रूप में स्थापित आधिपत्य के आधार पर निषेधाज्ञा दिये जाने के संबंध में न्यायदृष्टांत **Rame Gowda (D) By Lrs vs M. Varadappa Naidu (D) By Lrs. & Anr on 15 December, 2003** में यह प्रतिपादित किया गया है कि

“It is the settled possession or effective possession of a person without title which would entitle him to protect his possession even as against the true owner. The concept of settled possession and the right of the possessor to protect his possession against the owner has come to be settled by a catena of decisions. Illustratively, we may refer to Munshi Ram and Ors. Vs. Delhi Administration (1968) 2 SCR 455, Puran Singh and Ors. Vs. The State of Punjab (1975) 4 SCC 518 and Ram Rattan and Ors. Vs. State of Uttar Pradesh (1977) 1 SCC 188. The authorities need not be multiplied. In Munshi Ram & Ors.’s case (supra), it was held that no one, including the true owner, has a right to dispossess the trespasser by force if the trespasser is in settled possession of the land and in such a case unless he is evicted in the due course of law, he is entitled to defend his possession even against the rightful owner. But merely stray or even intermittent acts of trespass do not give such a right against the true owner. The possession which a trespasser is entitled to defend against the rightful owner must be settled possession, extending over a sufficiently long period of time and

acquiesced to by the true owner. A casual act of possession would not have the effect of interrupting the possession of the rightful owner. The rightful owner may re-enter and re-instate himself provided he does not use more force than is necessary. Such entry will be viewed only as resistance to an intrusion upon his possession which has never been lost. A stray act of trespass, or a possession which has not matured into settled possession, can be obstructed or removed by the true owner even by using necessary force. In *Puran Singh and Ors.*'s case (*supra*), the Court clarified that it is difficult to lay down any hard and fast rule as to when the possession of a trespasser can mature into settled possession. The 'settled possession' must be (i) effective, (ii) undisturbed, and (iii) to the knowledge of the owner or without any attempt at concealment by the trespasser. The phrase 'settled possession' does not carry any special charm or magic in it; nor is it a ritualistic formula which can be confined in a strait-jacket. An occupation of the property by a person as an agent or a servant acting at the instance of the owner will not amount to actual physical possession. The court laid down the following tests which may be adopted as a working rule for determining the attributes of 'settled possession' :

- i) that the trespasser must be in actual physical possession of the property over a sufficiently long period;
- ii) that the possession must be to the knowledge (either express or implied) of the owner or without any attempt at concealment by the trespasser and which contains an element of *animus possidendi*. The nature of possession of the trespasser would, however, be a matter to be decided on the facts and circumstances of each case;
- iii) the process of dispossession of the true owner by the trespasser must be complete and final and must be acquiesced to by the true owner;
- iv) that one of the usual tests to determine the quality of settled possession, in the case of culturable land, would be whether or not the trespasser, after having taken possession, had grown any crop. If the crop had been grown by the trespasser, then even the true owner has no right to destroy the crop grown by the trespasser and take forcible possession.

12. उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में दिनांक 16.04.2026 के विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 6 सुनीताबाई को वादग्रस्त भूमि उसके पूर्व स्वामी के द्वारा विक्रय किया जाना प्रकट हो रही है। जिसके आधार पर प्रथमदृष्टया वादग्रस्त भूमि की वास्तविक स्वामी प्रतिवादी क्रमांक 6 हो जाती है। वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक 6 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं तो उन्हें उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार स्थापित आधिपत्य के आवश्यक तत्व दर्शित करने होंगे। आधिपत्य दर्शित करने हेतु वादीगण के द्वारा छायाचित्र प्रस्तुत किये गये हैं, किंतु उससे आधिपत्य दर्शित नहीं होता है। यदि वादीगण इतने लंबे समय से वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में थे तो किसी राजस्व अभिलेख में आधिपत्य संबंधी प्रविष्टि होती। ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि पर किसके द्वारा क्या फसल बोई गई है ऐसा दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं है। यद्यपि फसल की बुआई करने के संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ऐसे में उक्त शपथ पत्रों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। व्यादेश का अनुतोष साम्या पर आधारित होता है। जिसके अंतर्गत वादी को न्यायालय में स्वच्छ हाथों से आना आवश्यक है। वादी का प्रथम दृष्टया विधिपूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रकट नहीं होता है। अतः **विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 "नासाबित"** के रूप में किया जाता है।

विचारणीय बिंदु क्रमांक -02 व 03 का निराकरण

13. अपूर्णनीय क्षति का अर्थ होता है कि जिसकी धन के रूप में पूर्ति न की जा सके या जहाँ वास्तविक नुकसानी का आकलन करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो। प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला साबित नहीं पाया गया है ऐसे में उक्त विचारणीय प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 व 03 का निष्कर्ष **"नासाबित"** के रूप में किया जाता है।

14. अतः वादी ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

15. आवेदन पत्र का व्यय वाद के निराकरणानुसार वहन किया जावेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सुश्री ज्योति फुस्केले)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,
सिरोंज जिला-विदिशा (म0प्र0)

(सुश्री ज्योति फुस्केले)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,
सिरोंज जिला-विदिशा (म0प्र0)